अनुमारक प्रथम
वाणिज्य कर

प0स0–स्था–1–वि0क0प0–1/2020–21/ 516
दि0:-29/6/20

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)
वाणिज्य कर विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
उत्तर प्रदेश।

विषयः– नयी पेंशन प्रणाली में प्रान खाता खुलवाने तथा कर्मचारियों के अवशेष अंशदान उनके खाते में डालने आदि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक मुख्यालय के पत्र सं0 5338 दि0 28.02.2019 तथा शासन के पत्र सं0–286(1)11–3–2019 दि0 20.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभाग में तैनात अधिकारियों के नयी पेंशन प्रणाली में प्रान खाता खुलवाने तथा कर्मचारियों के अवशेष अशंदान उनके खाते में डालने आदि के संबंध में सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मांगी गयी सूचनाओं में **अधिकारियों के प्रान खाता खुलवाने तथा कर्मचारियों के** अवशेष अंशदान **उनके खाते में डालने** आदि के संबंध में थी, विभिन्न जोन/जनपदो से प्राप्त सूचनाओं में अधिकारियों के प्रान खाता खुलवाने तथा कर्मचारियों के अवशेष अंशदान उनके खाते में डालने की सूचना पृथक–पृथक करना संभव नहीं हो रहा है कि इसमें कितने अधिकारियों के प्रान खाता खुलवाये गये एंव कितने शेष है तथा कितने कर्मचारियों के अवशेष अंशदान उनके खाते में डाले गये है

कृपया शासन के पत्र सं0–286(1)11–3–2019 दि0 20.02.2019 एंव कमिश्नर वाणिज्य कर के पत्र सं0 5338 दिनांक 28.02.2019 में उल्लिखित बिंदुवार सूचना दिनांक 04.07.2020 तक इय कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ताकि शासन को उपरोक्त वांछित सूचना से अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0 के0 सचान)
ज्वाइन्ट कश्निर (स्थापना) वाणिज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–समस्त आहरण वितरण अधिकारी,वाणिज्य कर उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन से प्राप्त निर्देशों के कम में जनपद में तैनात अधिकारियों के प्रान खाता खुलवाने तथा कर्मचारियों के अवशेष अंशदान उनके खाते में जमा कराये जाने की सूचना अपने जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डी0 के0 सचान)
ज्वाइन्ट कश्निर (स्थापना) वाणिज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या-1-स्था0-संख्या-2018-19 / 5338 वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(स्थापना-राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनॉक:: फरवरी, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया शासन के पत्र सं0-286(1)/11-3-2019 दिनांक 20-02-2019 **(संलग्नक)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभाग में तैनात अधिकारियों के नयी पेंशन प्रणाली में प्रान खाता खुलवाने तथा कर्मचारियों के अवशेष अंशदान उनके खाते में डालने आदि के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुये है।

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-05/2019/सा-3-91/दस-2019-301(9)/2019 दिनांक 13-02-2019 **(संलग्नक)** के क्रम में अपने जोन में तैनात अधिकारियों के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1- वित्त विभाग द्वारा दिनांक 13-02-2019 को जारी शासनादेश में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

2- विशेष अभियान चलाकर नई पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत 10 दिन के अन्दर इससे आच्छादित समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रान खातें खुलवायें जाये।

3- दिनांक 01-04-2019 को अब तक सभी आच्छादित कर्मचारियों के अवशेष अंशदान का आंकलन कराते हुये उनके खाते में जमा किया जाये।

अत: अपने जोन में तैनात अधिकारियों के प्रान खाता खुलवाने एवं अवशेष अंशदान का आंकलन कराकर जमा कराये जाने की कार्यवाही की सूचना दिनांक 07-03-2019 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि:- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में तैनात अधिकारियों के अवशेष प्रान खाता खुलवाने एवं अवशेष अंशदान का आंकलन कराकर जमा कराये जाने की सूचना अपने जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्यकर,
उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या–286(1)/11–3–2019

प्रेषक,

एस0पी0 शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–3

लखनऊः दिनाँकः 20 फरवरी, 2019

विषयः– नयी पेंशन प्रणाली में प्रान खाता खुलवाने तथा कर्मचारियों के अवशेष अंशदान उनके खाते में डालने आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–286/11–3–2019, दिनाँक 13 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनाँक 13–02–2019 को सम्पन्न बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गयेः–

(1)– वित्त विभाग द्वारा दिनाँक 13–02–2019 (प्रति संलग्न) को शासनादेश निर्गत किये गये हैं। उन शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/ निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(2)– विशेष अभियान चलाकर नई पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत 10 दिन के अन्दर इससे आच्छादित समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रान खाते खुलवाये जाये।

(3)– दिनाँक 01–04–2019 को अब तक सभी आच्छादित कर्मचारियों के अवशेष अंशदान का आंकलन कराते हुए उनके खाते में जमा किया जाये।

2– कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक : यथोक्त।

संख्या-05/2019/सा-3-91/दस-2019-301(9)/2019

प्रेषक

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव-वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक:13 फरवरी 2019

विषयः- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान में संशोधन।

महोदय

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी में 01 अप्रैल 2005 से समस्त नई भर्तियों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है। उक्त अधिसूचना द्वारा वित्तीय सेवायें विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ेींंदकमेीण्नचण्दपबण्पद से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-5/7/2003-ईसीबी एण्ड पीआर दिनांक 23 अगस्त 2003 के अनुरूप यह व्यवस्था की गयी कि नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एन0पी0एस0) के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा।

2- भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1/3/2016-पीआर दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01 अप्रैल 2019 से वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 में की गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत् वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ंेींदंकमेीण्नचण्दपबण्पद से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव वित्त

संख्या-05/2019/सा-3-91(1)/दस-2019-301(9)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महानिबंधक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
3- निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक पेंशन निदेशालय इंदिरा भवन लखनऊ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव वित्त

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ंदकमीण्नचण्दपबण्पद से सत्यापित की जा सकती है।